

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 595 / 2023


दिनांक : 7.02.2023

श्री विक्रम चौधरी (RJ1029), विशिष्ट न्यायाधीश, आवश्यक वस्तु अधिनियम, जोधपुर को दिनांक 23.01.2023 से 27.01.2023 तक 05 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 22.01.2023 एवं 28.01.2023 से 29.01.2023 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री चौधरी की अनुपस्थिति में विशिष्ट न्यायाधीश, सी.बी.आई. केसेज, जोधपुर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, आवश्यक वस्तु अधिनियम, जोधपुर के पद पर ही की गई।

आज्ञा से



रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) 16.02.2023

कमांक:-स्था.बी.2(4)/16/2016/1329

दिनांक : 17.02.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, आवश्यक वस्तु अधिनियम, जोधपुर को उनके पत्रांक 07 दिनांक 30.01.2023 के सन्दर्भ में ।
3. श्री विक्रम चौधरी (RJ1029), विशिष्ट न्यायाधीश, आवश्यक वस्तु अधिनियम, जोधपुर ।
4. विशिष्ट न्यायाधीश, सी.बी.आई. केसेज, जोधपुर।


सहायक रजिस्ट्रार 17.2.2023